न्यायालय कलेक्टर जिला–छतरपुर (म0प्र0).

रा0प्र0क्र0 0587/अ–20(3)/2024–25

मेसर्स ई.एम.आई.एल. माइन्स एण्ड मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड,
(आदित्य बिरला ग्रुप) इन्डस्ट्रीज हाऊस–18, फ्लोर–10, कॉमस स्ट्रीट, कोलकाता,
द्वारा प्रबंधक दीपेश भाटिया पता फ्लोर नं0 02, होटल श्रांगावली ओर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
विद्यानगर रोड बन्धा जिला सिंगरौली(म0प्र0). ....आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन...अनावेदक

आदेश

(पारित दिनांक 13/3/25)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि आवेदक मेसर्स ई.एम.आई.एल. माइन्स एण्ड मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड, (आदित्य बिरला ग्रुप) इन्डस्ट्रीज हाऊस–18, फ्लोर–10, कॉमस स्ट्रीट, कोलकाता द्वारा प्रबंधक दीपेश भाटिया पता फ्लोर नं0 02, होटल श्रांगावली ओर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विद्यानगर रोड बन्धा जिला सिंगरौली(म0प्र0). ने अपने पत्र क्रमांक/ई.एम.आई.एल./बंधा/67 दिनांक 17/01/2025 के माध्यम से अनुरोध किया है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन, "मंत्रालय" इन्दिरा पर्यावरण भवन जोर बाग रोड, अलीगंज नई दिल्ली के आदेश संख्या 8–17/2023 दिनांक 01/10/2024 से ग्राम–बन्धा कॉल ब्लाक ओपन कास्ट बन्धा कॉल माईन प्रोजेक्ट में प्रभावित वन भूमि रकवा 807.917हे0 की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त भूमि वन भूमि होने से वन संरक्षण अधिनियम,1980 के प्रावधानों के अनुरूप उक्त भूमि के बदले गैर वन भूमि क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–कसेरा तहसील बक्स्वाहा जिला छतरपुर (म0प्र0) में शासकीय भूमि खसरा नं0 26/1 रकवा 150.229हे0 मेंसे 100.000हे0, ख0नं0 364/1 रकवा 153.585हे0 मेंसे 36.000हे0 एवं ख0नं0 13/1/1 रकवा 472.346हे0 मेंसे 84.000हे0 कुल किता 03 कुल रकवा 220.000हे0 गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरण के संबंध में म0प्र0 नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश2020 दिनांक 24/09/2020 के तहत् प्ररूप "एक" पर आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जिस पर मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 दिनांक 24 सितम्बर,2020 से प्रभावशील प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर प्ररूप–दो पर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी(रा0) बिजावर से चाहा गया।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0) बिजावर द्वारा प्र0क्र0 0110/अ–20(3)/2024–25 प्रतिवेदन दिनांक 21.02.2025 में प्रतिवेदित किया है कि तहसीलदार तहसील बक्स्वाहा के प्रतिवेदन दिनांक 14/02/2025 व 19/02/2025 से सहमत होकर खसरा क्रमांक 26/1 रकवा 150.229हे0 मेंसे 134.000हे0, ख0नं0 364/1 रकवा 153.585हे0 मेंसे 30.000हे0 एवं ख0नं0 13/1/1 रकवा 472.346हे0 मेंसे 56.000हे0 कुल किता 03 कुल रकवा 220.000हे0 गैर वन भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024–25 अनुसार ग्राम–कसेरा की सिंचित भूमि का बाजार मूल्य–3,08,800/–रूपये प्रति हे0 के मान से 220हे0 भूमि का बाजार मूल्य–6,79,36,000/–(रू0 छैः करोड़ उन्नयासी लाख छत्तीस हजार मात्र।) होता है, जिसका 1.6गुणा के मान से कुल राशि–10,86,97,600/–(रू0 दस करोड़ छियासी लाख सन्तानवें

//2//

Payn

हजार छैः सौ मात्र।) होने से उक्त राशि जमा कराई जाकर म0प्र0 नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 दिनांक 24.09.2020 के तहत वन विभाग को वैकल्पिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरण बावत प्रकरण अनुशंसा सहित सादर प्रेषित किया, साथ ही निर्धारित प्रारूप–दो पर अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण में संलग्न तहसीलदार तहसील बक्स्वाहा के प्रतिवेदन दिनांक 14/02/2025 व 19/02/2025 में उल्लेखित है कि इश्तहार का प्रकाशन कराया गया, इश्तहार प्रकाशन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं। ग्राम पंचायत वीरमपुरा एवं वन परिक्षेत्राधिकारी बक्स्वाहा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रकरण संलग्न है तथा विद्युत विभाग, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग बिजावर, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश छतरपुर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किये जाने से यह मान लिया गया है कि उनके विभाग को कोई आपत्ति नहीं है मानकर ग्राम–कसेरा स्थित शासकीय भूमि खसरा नं0 26/1 रकवा 150.229हे0 मेंसे रकवा 134.000हे0, ख0नं0 13/1/1 रकवा 472.346हे0 मेंसे रकवा 56.000हे0, ख0नं0 364/1 रकवा 153.585हे0 मेंसे रकवा 30.000हे0 भूमि कुल किता–3 कुल रकवा 220.000हे0 भूमि उपयुक्त होने से कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024–25 अनुसार ग्राम–कसेरा की सिंचित भूमि का मूल्य–3,08,800/– रूपये प्रति हे0 है। ''मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ–101/2019/07–3 भोपाल दिनांक 05/01/2021 के अनुसार किसी निजी कंपनी/भारत सरकार की कंपनी/निजी संस्थाओं को परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमति दी जाती है, तो इन मामलों में जिला कलेक्टर द्वारा शासकीय राजस्व भूमि ऐसी भूमि के लिए सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 1.6 गुणा बराकर के राशि उपरिवर्णित अपेक्षित निकाय से लेकर वन विभाग को प्रतिपूर्तिवनीकरण (वैकल्पिक वनीकरण) उपलब्ध कराई जावें,'' जिसके अनुसार सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 1.6 गुणा के बराबर की राशि–3,08,800/–प्रति हे0 के मान से रकवा 220.000हे0 भूमि का बाजार मूल्य रू0 6,79,36,000/–रू0 जिसका 1.6 गुणा के बराबर की राशि–10,86,97,600/–रू0 (रूपये–दस करोड़ छियासी लाख सन्तानवें हजार छैः सौ मात्र।) होता है। आवेदित निकाय से नियमानुसार राशि जमा कराई जाकर वन आवेदित निकाय से नियमानुसार उपरोक्त राशि जमा कराई जाकर वन विभाग को वैकल्पिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरण किये जाने हेतु प्रकरण अ0वि0अ0 बिजावर को प्रेषित किया गया है।

जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 03/03/2025 को आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा मौजा–कसेरा स्थित खसरा नं0 26/1 रकवा 150.229हे0 मेंसे रकवा 134.000हे0, ख0नं0 13/1/1 रकवा 472.346हे0 मेंसे रकवा 56.000हे0, ख0नं0 364/1 रकवा 153.585हे0 मेंसे रकवा 30.000हे0 भूमि कुल किता–3 कुल रकवा 220.000हे0 भूमि मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ–101/2019/07–3भोपाल दिनांक 05/01/2021 के अनुसार रू0 10,86,97,600/– जमा कराया जाकर वन विभाग को वैकल्पिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

नजूल अधिकारी छतरपुर के प्रतिवेदन दिनांक 05/03/2025, अनुविभागीय अधिकारी(रा0) बिजावर का प्रतिवेदन दिनांक 21/02/2025 एवं तहसीलदार तहसील बक्स्वाहा के प्रतिवेदन दिनांक 14/02/2025 व 19/02/2025 तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति की

//3//

Pawl

बैठक दिनांक 03/03/2025 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मेसर्स ई.एम.आई.एल. माइन्स एण्ड मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड, (आदित्य बिरला ग्रुप) इन्डस्ट्रीज हाऊस–18, फ्लोर–10, कॉमस स्ट्रीट, कोलकाता को ग्राम–बन्धा तहसील सरई जिला सिंगरौली (म0प्र0) की वन क्षेत्र रकवा 807.917हे0 बन्धा कॉल माईन प्रोजेक्ट में प्रभावित होने से वैकल्पिक क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम–कसेरा पटवारी हल्का वीरमपुरा तहसील बक्स्वाहा जिला छतरपुर,(म0प्र0) स्थित गैर वन भूमि खसरा नं0 26/1 रकवा 150.229हे0 मेंसे रकवा 134.000हे0, ख0नं0 13/1/1 रकवा 472.346हे0 मेंसे रकवा 56.000हे0, ख0नं0 364/1 रकवा 153.585हे0 मेंसे रकवा 30.000हे0 भूमि कुल किता–3 कुल रकवा 220.000हे0 का वर्ष 2024–25 की कलेक्टर गाईड लाइन अनुसार सिंचित भूमि का 1.6गुणा बाजार मूल्य– 10,86,97,600/–रू0 (रूपये–दस करोड़ छियासी लाख सन्तानवें हजार छैः सौ मात्र।) होता है, जो आवेदित फर्म द्वारा चालान क्रमांक 051/9999999/0029/03/25/076406 दिनांक 07/03/2025 से राशि–10,86,97,600/–रू0 लेखा शीर्ष 0029–00–800–0015 में भारतीय स्टेट बैंक में जमा की जा चुकी है।

अतः मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश,2020 की अध्याय–दो अन्तर्गत कण्डिका–16 एवं 17 के तहत् ग्राम–कसेरा, पटवारी हल्का वीरमपुरा, रा.नि.मं0 व तहसील बक्स्वाहा जिला छतरपुर(म0प्र0) स्थित खसरा क्रमांक 26/1 रकवा 150.229हे0 मेंसे रकवा 134.000हे0, ख0नं0 13/1/1 रकवा 472.346हे0 मेंसे रकवा 56.000हे0, ख0नं0 364/1 रकवा 153.585हे0 मेंसे रकवा 30.000हे0 भूमि कुल किता–3 कुल रकवा 220.000हे0 शासकीय भूमि प्रत्यावर्तन अन्तर्गत वन विभाग को क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वनीकरण हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन हस्तांतरित की जाती है–

1– यदि आवेदक फर्म पर्यावरण अनापत्ति/अनुमति प्रस्तुत नहीं करते है तो यह आदेश एवं इस आदेश की समस्त अंतरवर्तीय प्रक्रियाएं एवं आदेश स्वमेव शून्यवत होगे।

2– वन विभाग के द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अंतरित भूमि का भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अधीन उपयोग न करने की स्थिति में अथवा तदानुसार अतिक्रमण आदि होने पर वन विभाग दायित्वाधीन होगा।

3– पर्यावर्णीय अनुमति प्राप्त होने पर ही वन विभाग अंतरित भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग करेगा।

4– उपरोक्त समस्त संक्रियाएं एवं प्रक्रियाएं संपादित करना आवेदक फर्म एवं वन विभाग के दायित्व के अधीन होगा।

5– आलोच्य आदेश टी0एन0 गोदावर्मन विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में मान्नीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा डब्ल्यू.पी.नं0 171/96 एवं डब्ल्यू.पी.(सी) 202/95 निर्णय दिनांक 12/12/1996 के अध्यधीन होगा।

6– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का उल्लंघन होने पर आदेश स्वमेव शून्यवत हो जावेगा।

तहसीलदार तहसील बक्स्वाहा को आदेशित किया जाता है कि आदेशानुसार भूमि का मौके पर सीमांकन कर, चौहद्दी बताते हुये कब्जा देकर हस्तांतरित भूमि नक्शें में चिन्हित कर राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करते हुये पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

(पार्थ जैसवाल)
कलेक्टर,
जिला–छतरपुर(म0प्र0).

पृ0क्र0 **0587**/अ–20(3)/2024–25

प्रतिलिपिः–

छतरपुर, दिनांक 13/03/2025

1– सचिव, म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग,''मंत्रालय'' वल्लभ भवन, भोपाल।
2– सचिव, म0प्र0 शासन, वन विभाग,''मंत्रालय'' वल्लभ भवन, भोपाल।
3– कमिश्नर, सागर संभाग, सागर।
4– वन संरक्षक, छतरपुर वृत छतरपुर,म0प्र0।
5– वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल छतरपुर, म0प्र0।
6– अनुविभागीय अधिकारी(रा0) बिजावर, जिला–छतरपुर(म0प्र0)
7– तहसीलदार तहसील बक्स्वाहा, जिला छतरपुर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8– मेसर्स ई.एम.आई.एल. माइन्स एण्ड मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड, (आदित्य बिरला ग्रुप) इन्डस्ट्रीज हाऊस–18, फ्लोर–10, कॉमस स्ट्रीट, कोलकाता, द्वारा प्रबंधक दीपेश भाटिया पता फ्लोर नं0 02, होटल श्रांगावली ओर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विद्यानगर रोड बन्धा जिला सिंगरौली(म0प्र0)।

कलेक्टर,
जिला–छतरपुर(म0प्र0).

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11158540266

ग्राम: कसेरा			पटवारी हल्का: वीरमपुरा			तहसील: बक्स्वाहा			जिला: छतरपुर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण सख्यांक /ब्लॉक सख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई सबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम सख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82A3J3 DCAC3 0H0	13/1/1 /1 (S)		56.0000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						नामांतरण(अन्य)प्रकरण क्रमांक 01/अ-19(3)/भूह/17-18 आ.दि. 12/10/2017 के अनुसार कलेक्टर द्वारा स्वीकार किया गया है| दि.18/08/2020को खसरा टिप्पणी पटवारी द्वारा जोड़ा गया एवं तहसीलदार द्वारा अनुमोदन किया गया | दि.17/12/2020को खसरा टिप्पणी पटवारी द्वारा जोडा गया एवं तहसीलदार द्वारा अनुमोदन किया गया | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0023/अ-20(1)/2021-22, आदेश दि. 01/10/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0587/अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 13/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | म.प्र.शासन वनभूमि-57.21 बंदर डायमंड प्रोजेक्ट हेतु रकबा ३८२.१३१ हे आरक्षित न्यायालय कलेक्टर महोदय छतरपुर का आदेश प्र क्र ००१/अ ५९/व्यपवर्तन/२०-२१ आदेश दिनांक ०७/०८/२०२० के अनुसार न्यायालय कलेक्टर महोदय के प्रकरण क्रमाक ०००२/अ-५९/व्यवर्तन/2020-21 आदेश दिनांक १५/१२/2020 के अनुसार 84.000 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आरक्षित किये जाने का आदेश पारित किया गया।

Specimen copy

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख	नक़्शा की प्रतिलिपि	
	वर्ष: 2024-25	दिनांक: 18-03-2025 12:03:27

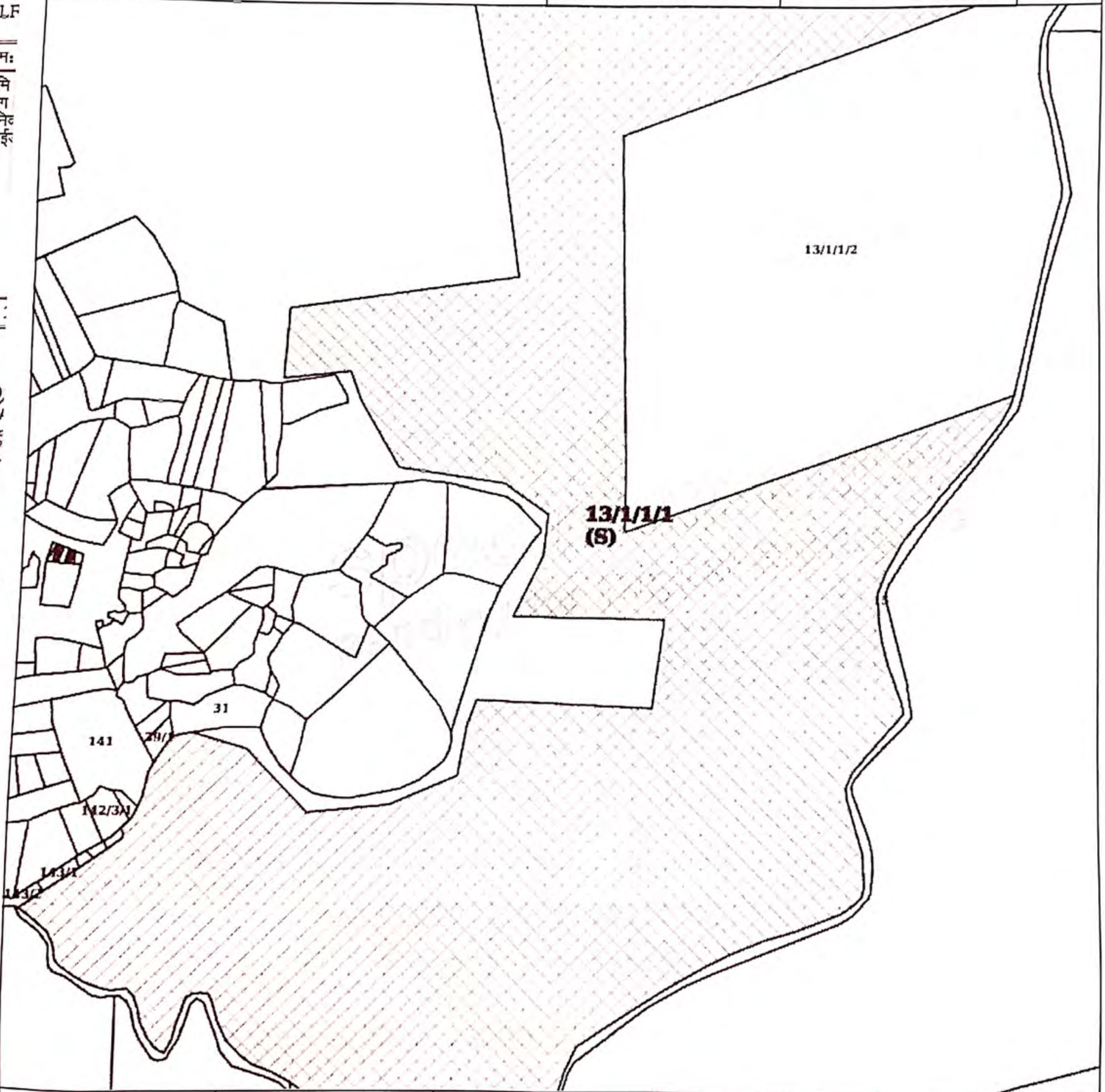

ब्लोक सं	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	फसेरा	वीरमपुरा	बकस्वाहा	छतरपुर

सर्वेक्षण सं	क्षेत्रफल	भू रा श
13/1/1/1(S)	56.0000(हेक्टे.)	0

मापांक 1:4000

0 50 100 150 200m

भूस्वामी : (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

(हस्ताक्षर)

नोट :

1. यह प्रस्त केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइन कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।

Scanned with OKEN Scanner